>

Title: Need to take appropriate punitive action against administrative officers for negligence in making proper arrangement for handling public congregation leading to death and injury to people due to stampede.

श्री सज्जन वर्मा (देवास): मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में यह देखने में आ रहा है कि राज्यों के अंदर घटित होने वाली अत्यंत गंभीर घटनाओं में, जिनमें बेगुनाह लोगों की जान जिलों में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों जैसे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. की अनदेखी और कमजोर कार्य क्षमता की वजह से चली जाती है । ये घटनायें विशेष दिनों में मंदिरों और धार्मिक आयोजनों में जहां हजारों, लाखों लोग एकत्रित होते हैं, जिनकी सही व्यवस्था वहां के कलैक्टर और पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट नहीं कर पाते हैं और इन जगहों पर दुर्भाग्यवश घटित होने वाली घटनाओं में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है तब राज्य सरकारें दोषी अधिकारियों (आई.ए.एस. व आई.पी.एस.) को निलंबित कर देती है, परंतु 45 दिन के अंदर इनके खिलाफ आरोप पत्र जारी नहीं करती है, इससे इन दोषी अधिकारियों को नियमों का लाभ मिल जाता है और इनका निलंबन स्वतः समाप्त हो जाता है ।

हाल ही में इस तरह की एक घटना मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर में हुई, जहां सैंकड़ों बेगुनाह लोगों की जान चली गई । राज्य सरकार द्वारा जिले के कलैक्टर और एस.पी. को निलंबित तो कर दिया लेकिन 45 दिन के अंदर इनके खिलाफ आरोप पत्र जारी नहीं किया । इसकी वजह से आई.ए.एस. अधिकारी का निलंबन स्वतः समाप्त हो गया । इस तरह का पैटर्न विभिन्न राज्य सरकारें द्वारा अपनाया जा रहा है । अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस तरह की गलत परंपराओं को रोकने के लिए कठोर नियम बनाये जायें ।